Director Transport
Addl. Comm./Jt. Comm./RTO
AC (F&A)/AC(T)
Branch Incharge
Estt./STA/Gen/Audit
PA Sh

संख्याः एल0ए0ओ0;(रेलवे)बिलासपुर. 3–1/2020– 294–14
कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर –एवं–
भू–अर्जन अधिकारी,रेलवे बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

बिलासपुर दिनांक 11 अप्रैल, 2022.

2992
21.04.2022

सेवा में,

प्रधान/सचिव,
ग्राम पंचायत नोग, कुडडी, निचली भटेड, बैरी रजादयां,
बरमाणा, नौणी तहसील सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0

19/4/22

विषयः भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी, नई बी0जी0 रेलवे लाईन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जन सुनवाई–अधिसूचना अधीन नियम–8, भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाधात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के प्रचार बारे।

महोदय,

भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी, नई बी0जी0 रेलवे लाईन के निर्माण हेतु निम्नलिखित गांवों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत भूमि अर्जित की जानी आपेक्षित है। इस बारे सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण को कियान्वित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन हेतु निम्न गांवों में, गांव के आगे दर्शाये गये स्थानों पर दर्शाई गई तिथियों को जन सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। इस बारे प्रभावित व्यक्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित तिथियों को दर्शाये गये स्थानों पर आकर जन सुनवाई में भागीदार बनें।

क्र0	गांव का नाम	जन सुनवाई का स्थान	आपेक्षित भूमि (बिघों में)	सुनवाई की तिथि
1	नोग	पंचायत घर नोग	60–6	04.05.2022 सुबह 10.00 बजे
2	बल्ही बिल्ला	पंचायत घर कुडडी	21–9	04.05.2022 दोपहर 2.00 बजे
3	बल्ही झलेडा		4–0	
4	भराथु		24–3–05	
5	बघडी	पंचायत घर निचली भटेड	22–9	05.05.2022 सुबह 9.30 बजे
6	बैरी रजादयां	पंचायत घर बैरी रजादयां	0–7	05.05.2022 दोपहर 12.30 बजे
7	खतेड	पंचायत घर बरमाणा	210–2	05.05.2022 दोपहर 2.00 बजे
8	भटेड उपरली		104–5	
9	बरमाणा		91–8	
10	मण्डी	पंचायत घर नौणी	0–4	06.05.2022 सुबह 10.00बजे

भू मालिकों की तफसील 22 फरवरी,2022 के पत्र के साथ आपको पहले प्रेषित की जा चुकी है। आपसे अनुरोध है कि इस बारे सम्बन्धित समस्त पंचायत प्रतिनिधियों व सम्बन्धित भू–स्वामियों तथा प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने तथा इसकी एक प्रति पंचायत के सूचना पट पर चस्पान करने का कष्ट करें।

भवदीय

उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर –एवं–
भू–अर्जन अधिकारी,रेलवे बिलासपुर,
जिला बिलासपुर हि0प्र0।